

उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या-34/2016/1191/2016/57-2016-51(जी)/2013

लखनऊ दिनांक: 20 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर लखनऊ से शिरडी, शनि सिंगनापुर एवं त्रयम्बकेश्वर (महाराष्ट्र) की तीर्थ यात्रा दिनांक: 04 जनवरी, 2017 से दिनांक: 08 जनवरी, 2017 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये दिनांक 20 जनवरी, 2017 से 24 जनवरी, 2017 के मध्य कराये जाने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या-32/2016/1164/2016/57-2016-51(जी)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर लखनऊ से शिरडी, शनि सिंगनापुर एवं त्रयम्बकेश्वर (महाराष्ट्र) की तीर्थ यात्रा दिनांक 04 जनवरी, 2017 से कराये जाने हेतु निर्गत की गयी है, परन्तु अपरिहार्य कारणों से अब उक्त यात्रा दिनांक: 20 जनवरी, 2017 से दिनांक: 24 जनवरी, 2016 तक करायी जायेगी।

2- विज्ञप्ति संख्या-32/2016/1164/2016/57-2016-51(जी)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जायेगा। शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगी।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2016/1191(1)/2016/57/2016-51(जी)/2013-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- 2- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
- 4- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई०आर०सी०टी०सी० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आर०सी०टी०सी०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित यात्रियों को यात्रा के प्रारम्भ होने पर उनके गृह जनपद के निकटतम बस स्टेशन से लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ेंगे तथा यात्रा की समाप्ति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपरान्त लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर उनके गृह जनपद के निकटतम बस स्टेशन पर छोड़ेंगे। यह सुविधा यात्रियों को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

- 6- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ० प्र० शासन।
- 7- महानिदेशक, पर्यटन उ० प्र० शासन।
- 8- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद उ० प्र० ।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र०।
- 10- प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे इच्छुक यात्रियों के आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर उनकी संवीक्षा कर निर्धारित चयन मानकों के अनुसार वरिष्ठतम 10 सम्भावित यात्रियों की सूची शासन को दिनांक- 10-01-2017 तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
- 11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत यात्रा (तिथि 20-01-2017 से 24-01-2017 तक) हेतु 03 चिकित्सक एवं 02 नर्सें नामित करते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ० प्र० शासन।
- 14- निजी सचिव, मा० मंत्री, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ० प्र०।
- 15- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- 16- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग।
- 17- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित यात्रा का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।
- 18- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।